संख्या:790/2023/2354/35-4-2023/001-35-4099/85/2023

प्रेषक,

जे0एल0 यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर/देवरिया।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 08 सितम्बर,2023

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत निर्गत स्वीकृति शासनादेश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद गोरखपुर में शासनादेश सं0-567/2023/1265/35-4-2023 दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा विकास खण्ड बांसगांव एवं विकास खण्ड चौरी चौरा के 08 कार्यों की रू. 478.47 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 239.24 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तदोपरान्त शासनादेश सं0-707/2023/1888/35-4-2023/35-4099/85/2023 दिनांक 11 जुलाई, 2023 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा स्वीकृत कार्यों में से क्रमांक 2,4,7 एवं 8 पर अंकित कार्यों को निरस्त करते हुए जनपद देवरिया एवं गोरखपुर से सम्बन्धित 05 कार्यों की रू. 248.33 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी। एतदद्वारा जनपद गोरखपुर/देवरिया हेतु शासनादेश सं0-707/2023/1888/35-4-2023/35-4099/85/2023 दिनांक 11 जुलाई, 2023 द्वारा निर्गत स्वीकृति को निरस्त करने एवं जनपद गोरखपुर हेतु निर्गत शासनादेश सं0-567/2023/1265/35-4-2023 दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा स्वीकृत 08 कार्यों की तालिका के क्रमांक 2,4,7 एवं 8 पर अंकित कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को पुर्नवैध किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(जे0एल0 यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या:790/2023/2354(1)/35-4-2023/001-35-4099/85/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर/देवरिया।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/देवरिया।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर/देवरिया।
13- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गोरखपुर/देवरिया।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in